राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.09.2025 दूदू (जयपुर जिला)

एन.एल.ए. बैंच सं. 15

1. अध्यक्ष – शिव कुमार II आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
2. सदस्य – दीपक दाधीच अधिवक्ता

दीनदयाल वगै0 बनाम कानाराम वगै0
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण. दूदू
प्रकरण सं. 191/2022

आदेश

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
13.09.2025	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री **रामधन सारण** एवं अप्रार्थी बीमा कम्पनी के अधिवक्ता श्री **दीपेन्द्र सिंह** ने लोक अदालत की भावना से परस्पर सहमति के आधार पर हस्तगत मोटर दुर्घटना दावा में मृतक के प्रतिकर बाबत राजीनामा इस प्रकार प्रस्तुत किया कि क्लेमेंट ने इस अधिकरण में प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा के बाबत बीमा कम्पनी से **रुपये 4,90,000/– (अक्षरे चार लाख नब्बे हजार रुपए)** प्राप्त करने हेतु सहमत है तथा बीमा कम्पनी उक्त राशि की अदायगी हेतु सहमत है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता व बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत राजीनामा पर हस्ताक्षर किए। जिन्हें राजीनामा में अंकित सम्पूर्ण इबारत सुनाई व समझाई गयी तो उक्त इबारत सत्य व सही होना स्वीकार किया एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत करना जाहिर किया। अतः प्रस्तुत राजीनामा तसदीक किया गया जो शामिल मिसल है। चूंकि पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसार राजीनामा प्रस्तुत होकर तसदीक हो चुका है। अतः हस्तगत क्लेम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 163 मोटर वाहन अधिनियम अप्रार्थी बीमा कम्पनी के विरुद्ध परस्पर सहमति व लोक अदालत की भावना से राजीनामा करने पर स्वीकार किया जाकर पंचाट इस प्रकार पारित किया जाता है कि क्लेमेंट प्रश्नगत सडक दुर्घटना में मृत्यु होने के परिणामस्वरूप अप्रार्थी बीमा कम्पनी से राजीनामा के मुताबिक **रुपये 4,90,000/– (अक्षरे चार लाख नब्बे हजार रुपए)** प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त राशि दो माह में अदा नहीं करने पर क्लेमेंट बीमा कम्पनी से पंचाट राशि पर आज दिनांक **13.09.2025** से भुगतान होने की तिथि तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। याचिका के शेष अप्रार्थीगण को प्रतिकर की अदायगी से मुक्त किया जाता है। क्लेमेंटस ने अंतरिम प्रतिकर राशि का पूर्व में भुगतान प्राप्त नहीं किया है। अतः क्लेमेंट राशि **रुपये 4,90,000/– (अक्षरे चार लाख नब्बे हजार रुपए)** मात्र प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी बीमा कम्पनी उक्त राशि न्यायाधिकरण के आरएमजीबी बैंक खाता संख्या– 83055610426 IFSC Code RMGB0000418 में जरिए NEFT/RTGS जमा करवाकर पालना	

रिपोर्ट नियमानुसार न्यायालय को भिजवाएं।

अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उक्त प्रतिकर राशि इस न्यायाधिकरण के उपरोक्तानुसार बैंक खाते में जरिए NEFT/RTGS जमा करवा देने पर प्रार्थीया/क्लेमेंट को भुगतान निम्न पंचाट के अनुसार किया जावेः–

क्र. सं.	प्रार्थीगण का नाम	बचत खाते में जमा योग्य राशि	सावधि जमा खाते में जमा योग्य राशि	सावधि जमा की अवधि
1	दीनदयाल पुत्र भंवरलाल (मृतक के पिता)	2,45,000/–	–––	–––
2.	संतरा देवी पत्नी दीनदयाल(मृतक की माता)	2,45,000/–	–––	–––

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
दूदू

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
दूदू